न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 103/2020

वादीगण –

1. हरीराम पुत्र पुरखाराम
2. रामरख पुत्र सालगराम
   जातियान–जाट, निवासीगण–जायल तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. शिवराम पुत्र सालगराम
2. घनश्याम पुत्र सालगराम
3. रामचन्द्र पुत्र सालगराम
4. रामप्रसाद पुत्र पुरखाराम
5. जयपाल पुत्र बस्तीराम पुत्र पुरखाराम
   जातियान–जाट, निवासीगण–जायल जिला–नागौर (राज.)
6. जगनाथ पुत्र राधाकिशन
7. मोहनलाल पुत्र राधाकिशन
8. लालचन्द पुत्र राधाकिशन
9. शोभाचन्द पुत्र राधाकिशन
10. रूघनाथ पुत्र हीरालाल
11. हनुमान पुत्र हीरालाल
12. हरकू पुत्र हीरालाल
    कौम– महाजन, निवासीगण–जायल तहसील–जायल जिला–नागौर (राज.)
13. सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला–नागौर।

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम अधिवक्ता वादीगण
2. श्री आर.पी. बैंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5
3. प्रतिवादी संख्या 6 से 12 एक पक्षीय कार्यवाही
4. प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित

दिनांक : 03/11/2020

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

—: : **निर्णय** : :—

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा पारिवारिक बडेर (पिता दादा) के समय से रहवासी हाल खसरा नं. 1580 रकबा 0.2104 हैक्टेयर मौजा जायल में स्थित है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के संयुक्त मकान बाड़ा आदि स्थित है। उक्त भूमि मौजा जायल हाल खसरा नं. 1580 रकबा 0.2104 हैक्टेयर की लिखापढ़ी वक्त सेंटलमेंट से पहले सम्वत् 1979 से पहले के खसरा नं. 2444 की प्रतिवादी संख्या 6 जगनाथ वल्द राधाकिशन कौम महाजन साकिन जायल ने वष 1959 में अपने परिवार के सदस्यो की मौजूदगी में लिख दिया कि उक्त रकबा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बाद दादा जोधाराम सालगराम बेटा पौता गिरधारीराम लोमरोड़ के पक्ष में बक्सीस नामा लिख दिया। जो वक्त सेंटलमेंट पर्चा लगान गलत तरीके से प्रतिवादी संख्या 6 से 12 के नाम से रह गई। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 6 से 12 का कोई हक हिस्सा नहीं रहा है। केवल वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का कब्जा व हक अधिकार रहा है। उक्त मुतदाविया खेतायों की भूमि का पक्षकारान द्वारा सम्वत् वादपत्र के पैरा संख्या 2 (क से ज) के अनुसार कर काबिज हो गये। विनाय दावा वादीगण द्वारा बाप दादा के रहवासी मकान होने व पारिवारिक बंटवारा करने की नियत से नकल खतौनी दिनांक 220.7.2020 को प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि मुतदाविया खेताय की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 6 से 12 के नाम सेंटलमेंट से गलती है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 6 से 12 आवश्यक पक्षकार होने से वाद पत्र में पक्षकार के रूप में संयोजित किये गये है। प्रतिवादी संख्या 6 से 12 का मुतदाविया भूमि पर किसी प्रकार हक अधिकार एवं कब्जा नहीं है।

अतः वादपत्र को माफिक वाद पैराज अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाने तथा घोषित की जाने की इस्तदुआ वकील वादी द्वारा चाही गई।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

साथ ही उक्त डिक्री आदेश की तहरीर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु करने का निवेदन किया।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री आर.पी. बैंदा ने दिनांक 04.09.2020 को वकालात नामा व ईकबालिया जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 13 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 6–12 जायल में नहीं रहने की रिर्पोट के साथ प्राप्त होने पर वकील वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 से 12 के सम्मन जरिये अखबार साया तामील कराने का निवेदन किया तथा प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 6 से 12 का सम्मन अखबार साया होकर मय फहरिस्त फार्म के संलग्न पेश हुआ। जो शामिल मिसल किये गये। बावजूद सूचना एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 से 12 की तामील जरिये अखबार साया कराने पर भी उपस्थित नहीं आने से प्रतिवादी संख्या 6 से 12 के एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से इकबालिया जबाव तथा प्रतिवादी संख्या 6 से 12 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा प्रतिवादी संख्या 5 सरकार जरिये केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्यवादी में शपथ पत्र गवाह हरीराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी जायल जिला–नागौर (राज.) का शपथ–पत्र पेश किये। गवाह हरीराम के बयान कलमबद्ध किये गये जिसपर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी ग्राम जायल सम्वत् 2073–2076 नया खाता संख्या 1983 खसरा नं. 1580 प्रदर्श–1, नकल गिरदावरी सम्वत् 2010 से 2029 प्रदर्श–02, वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या

सहायक कलक्टर
(एस.डी.एम.) जायल

1 से 5 के बाप दादा जोधाराम, सालगराम पिता गिरधारीराम व प्रतिवादी संख्या 6 से 12 के पूर्वज जगनाथ पुत्र राधाकिशन के मध्य में 2 रूपये के स्टाम्प पर हुई लिखापढ़ी वर्ष 1959 पेश की जो शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा पत्रावली में इकबालिया जवाब व वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 द्वारा नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि मुतदाविया खेताय की भूमि खातेदार जगन्नाथ वगैरह ने प्रतिवादी संख्या 06–12 के दादा ने वादीगण के दादा पड़दादा के नाम बक्सीस कर दी थी तथा तत्समय सेटलमेंट से ही वादीगण के दादा पड़दादा (जोधाराम, सालगराम पिता गिरधारीराम) के कब्जे काश्त की रही है। वक्त सेटलमेंट बक्सीस नामा के कागजात भी सेटलमेंट एवं राजस्व अधिकारियों को उपलब्ध करा दिये जाने के बावजूद भी वादीगण तथा प्रतिवादीगण के दादा/परदादा के नाम मुतदाविया खेताय की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया। वरवक्त वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा विवादग्रस्त खेताय की भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा कराने बाबत् जमाबंदी निकालने पर पता चला की आदिनांक को विवादग्रस्त खसरे की भूमि प्रतिवादी संख्या 6 से 12 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। उक्त व्यथा से पिड़ित होकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने मुतदाविया खेताय की खातेदारी एवं बंटवारा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत किया है। अतः ग्राम जायल के खसरा नं. 1580 रकबा 0.2104 बीघा की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की खातेदारी में घोषित की जावे। साथ ही मुतदाविया भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में माफिक नजरी नक्शानुसार पृथक–2 घोषित की

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

जावे साथ ही तहरीर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु करने का निवेदन किया।

बहस वकुलाय पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के द्वारा इकबालिया जबाब प्रस्तुत किया गया है, प्रतिवादीगण संख्या 6 से 12 वर्तमान में मौजा जायल में निवास नहीं करते है, जिनको जरिये सम्मन एवं अखबार सम्मन के तलब किया गया। जो हस्तगत प्रकरण में उपस्थित नहीं हुये तथा इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश 14.10.2020 पारीत किये गये है। प्रतिवादी संख्या 13 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। ग्राम जायल के खसरा नं. 1580 की भूमि पर कब्जा काश्त नकल गिरदावरी सम्वत् 2011 से 2021, एवं चतुर्थ वर्षीय खसरा सम्वत् 2010, 2014, 2018 जिसमें नाम काश्तकार जोधाराम बेटो गिरधारी दर्ज होना तथा खसरा नं. 1367 की भूमि की काश्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के दादा/पड़ादादा जोधाराम पुत्र गिरधारीराम द्वारा की जाना प्रमाणित है। तथा प्रतिवादी संख्या 6 से 12 के दादा/पड़दादा द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के दादा/पड़दादा को जरिये बक्सीस स्टाम्प 2 रू. के सेटलमेंट से पहले दी जाने के उपरान्त भी वरवक्त सेटलमेंट अधिकारी द्वारा विवादग्रस्त भूमि का कब्जा काश्त वक्त सेटलमेंट से ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के दादा/पड़दादा तथा वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का होना बयान गवाह हरीराम, रामदेव से होने की ताईद होती है। चूंकि वादग्रस्त खेताय की भूमि वर्तमान नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 1983 में प्रतिवादी संख्या 6 से 12 की खातेदारी में दर्ज होना प्रमाणित है तथा पत्रावली में साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज सूची फार्म नं. 3 के संलग्न मूल लिखापढ़ी, व नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2011 से 2021 से मुतदाविया भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के दादा/पिता के द्वारा काश्त की जाना तथा जरिये बक्सीस के अपने अधिकारों का अन्तरण कर दिये जाने उपरान्त भी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के दादा व परदादा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं हुआ तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि का लगायत कब्जा काश्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का होना तथा वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होना सम्पुष्ट करता है।

अतः वादीगण को मौजा जायल के वर्तमान खसरा नं. 1580 में कब्जे व राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर खातेदारी अधिकारो का अन्तरण कर दिये जाने पर राजस्व रिकॉर्ड में अन्तरण का इन्द्राज किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने प्रकरण में हिस्सा विशेष की भूमि की खातेदारी घोषित किये जाने की इस्दुआ भी चाही है इसलिए हम वादीगण के वाद को आंशिक स्वीकार कर अन्तिम डिक्री नहीं कर प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : **आदेश** : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम जायल के खसरा नं. 1580 की खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की सहखातेदारी में घोषित की जाती है। पक्षकारान् द्वारा प्रकरण में बंटवाड़ा चाही है है इसलिए बंटवाड़े हेतु प्राथमिक डिक्री इस आशय की तहसीलदार जायल को जारी कर आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान् की उपस्थिति में विवादग्रस्त खेत ख.न. 1580 का बंटवारा प्रस्ताव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्राप्त पत्रांक : रा.म. / न्याय / स्था. / प—51 / 2008 / विविध / 10546 दिनांक 05.10.2020 की पालना सुनिश्चित करते हुये दो प्रतियों में तैयार कर आगामी तारीख पेशी 14/01/2021 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। माफिक आदेश प्राथमिक डिक्री पर्चा तैयार होकर जारी हो। तहसीलदार जायल को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

03/11/2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

प्राथमिक डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 103/2020

वादीगण –

1. हरीराम पुत्र पुरखाराम
2. रामरख पुत्र सालगराम

जातियान–जाट, निवासीगण–जायल तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. शिवराम पुत्र सालगराम
2. घनश्याम पुत्र सालगराम
3. रामचन्द्र पुत्र सालगराम
4. रामप्रसाद पुत्र पुरखाराम
5. जयपाल पुत्र बस्तीराम पुत्र पुरखाराम

जातियान–जाट, निवासीगण–जायल जिला–नागौर (राज.)

6. जगनाथ पुत्र राधाकिशन
7. मोहनलाल पुत्र राधाकिशन
8. लालचन्द पुत्र राधाकिशन
9. शोभाचन्द पुत्र राधाकिशन
10. रूघनाथ पुत्र हीरालाल
11. हनुमान पुत्र हीरालाल
12. हरकू पुत्र हीरालाल

कौम– महाजन, निवासीगण–जायल तहसील–जायल जिला–नागौर (राज.)

13. सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला–नागौर।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम अधिवक्ता वादीगण
2. श्री आर.पी. बैंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5
3. प्रतिवादी संख्या 6 से 12 एक पक्षीय कार्यवाही
4. प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित

सहायक कलेक्टर
(उ.ख.अ.) जायल

— : : डिक्री आदेश : : —

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 हाजरी श्री आर.पी.बैंदा प्रतिवादी संख्या 6 से 12 एक पक्षीय व प्रतिवादी 13 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि : —

ग्राम जायल के खसरा नं. 1580 की खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की सहखातेदारी में घोषित की जाती है। पक्षकारान् द्वारा प्रकरण में बंटवाड़ा चाही है है इसलिए बंटवाड़े हेतु प्राथमिक डिक्री इस आशय की तहसीलदार जायल को जारी कर आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान् की उपस्थिति में विवादग्रस्त खेत ख. न. 1580 का बंटवारा प्रस्ताव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्राप्त पत्रांक : रा.म. /न्याय/स्था./प—51/2008/विविध /10546 दिनांक 05.10.2020 की पालना सुनिश्चित करते हुये दो प्रतियों में तैयार कर आगामी तारीख पेशी ....14/01/2021... से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

03/11/2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर, उपखण्ड
अधिकारी जायल (नागौर)

सहायक कलेक्टर जायल (एस.डी.ओ.)

तीज — मुबलिग — बाबत् — खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03/11/2020 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

03/11/2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर, उपखण्ड
अधिकारी जायल (नागौर)